**प्राथमिकता**

**संख्याः-32/2025/सा0-126/अड़तीस-9-2025/38-9099(99)/32/2023**

**प्रेषक,**

**रजनीश चन्द्र**,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में**,

**समस्त मुख्य विकास अधिकारी**,
उ0प्र0।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-7** **लखनऊ 01 जुलाई, 2025**

**विषयः-** जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन एवं बैठके आयोजित कराये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन एवं बैठके आयोजित कराये जाने के संबंध में मा0 विशेषाधिकार समिति, विधान परिषद द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन एवं बैठके आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित निर्देशानुसार जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता हैः-

**अध्यक्षः-**

जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ मा0 जनप्रतिनिधि (मा0 सदस्य विधान सभा/मा0 विधान परिषद) को बनाया जायेगा।

**सदस्य सचिवः-**

जनपद स्तरीय समिति का सचिव मुख्य विकास अधिकारी होगें। अतिविशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ताकि समिति की बैठकों का आयोजन कार्यक्रमानुसार किया जा सके।

**संयोजकः-**

जनपद स्तरीय समिति का संयोजक जिला विकास अधिकारी होगें ।

**सदस्यः-**

1. जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधान परिषद/मा0 सदस्य विधान सभा सदस्य होगें।
2. राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि (संयुक्त विकास आयुक्त)।
3. जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि ।
4. जिले के समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत ।
5. जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी ।
6. विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि में कार्य करने वाली समस्त कार्यदायी संस्थाओं के जनपद स्तरीय अभियंता ।
7. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. समस्त सदस्य जिला पंचायत ।

9. अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं जिले के प्रमुख बैंक अधिकारी ।

10. ग्राम पंचायतों के पाँच निर्वाचित प्रधान (जिसमें 02 महिलाएं अवश्य हो) ।

11. अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों द्वारा मनोनीत किये जाने वाले किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य ।

12. अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों द्वारा मनोनीत किये जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग का एक–एक प्रतिनिधि।

**<u>विचारार्थ विषय:-</u>**

i. इस समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही में एक बार कुल मिला कर चार बार आयोजित की जायेगी।

ii. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रियान्वयन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. कार्यक्रमों के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए समिति द्वारा समेकित समाधान किया जायेगा तथा शीघ्रता से प्राथमिकताएं तय करने के लिए भूमि और स्थान के प्राविधानों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए समिति द्वारा प्रयास किया जायेगा ।

iv. समिति द्वारा लाभार्थियों के गलत चयन, निधियों के दुर्वियोजन/अन्यत्र उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों/कथित अनियमितताओं की जॉच कर सकेंगी और अनुवर्ती कार्यवाही की सिफारिश कर सकेंगी।

V. समिति, जॉच के लिए किसी भी मामले को जिला कलेक्टर/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को भेज सकती है अथवा नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही किये जाने का सुझाव दे सकती है जो उनके द्वारा 30 दिनों के अन्दर की जायेगी।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन और बैठके आयोजित कराने के संबंध में समस्त संबंधित को सूचित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

**रजनीश चन्द्र**
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-32/2025/सा0-126(1)/अड़तीस-9-2025/38-9099(99)/32/2023 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2 निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7 ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**अजय कुमार मिश्र**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।